दिनांक:14-03-2017

प्रेस नोट

मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की संस्था किलकारी एक विशेष शिशु दत्तक ग्रहण एजेंसी के रूम में पंजीकृत है, की एक शिकायत मार्फ़त महिला एवं बाल विकास मत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त हुई| जिस के अनुसार दो बच्चे सुनीता (बदला हुआ नाम) तथा राजीव (बदला हुआ नाम) एजेंसी द्वारा केंद्रीय एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) में रजिस्टर कर लिए गए थे तथा बाल कल्याण समिति से दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त भी कर दिए गए थे तथा कारा द्वारा तीन बार उन का विभिन्न दम्पत्तियों को रेफरल दिया गया किन्तु किसी ने भी बच्चों को रिज़र्व नहीं किया| संस्था की शिकायत थी कि, क्या किन्ही बच्चों दत्तक ग्रहण के सिर्फ 3 ही प्रयास किये जाने चाहिए ? अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन का दत्तक ग्रहण होता है तो वो भावनात्मक रूप से नये परिवेश में समाहित होने में ज्यादा समय लेते हैं|

आयोग ने इस विषय पर कारा को पत्र लिखा तथा इन दोनों बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए फिर से रेफरेल देने तथा दत्तक ग्रहण के प्रयास तेज़ करने के निर्देश दिए जिस पर कारा द्वारा कार्यवाही करते हुए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी| परिणाम स्वरुप कर्नाटक के श्री गणेश तथा श्रीमती शुभद्रा को रेफरल देने के बाद उन के द्वारा बच्चे रिज़र्व कर लिए गए तथा उन के लिए दत्तक ग्रहण रेगुलेशन, 2017 के तहत प्रक्रियाएं शुरू कर दी गयी हैं| जल्दी ही सुनीता तथा राजीव को माँ-बाप तथा एक परिवार मिल जायेगा जहां पर उन का सही से लालन पालन तथा समुचित विकास हो पायेगा|

Vinay Singh (Consultant)